

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठारसीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 125/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. नरसिंहराम- पुत्र पुकाराम जाति मेघवाल निवासी गुडा कलां		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली।
2. सनाराम पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल निवासी गुडा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 09/12/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुडा कलां तहसील सोजत में प्रार्थी के खसरा नंबर 751 रकबा 0.8700 है0 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 751/1248 रकबा 0.6300 किस्म बा0दो0 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि के खसरा नंबर 751 रकबा 0.8700 है0 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 751/1248 रकबा 0.6300 किस्म बा0दो0 में से नया रास्ता दिलवाये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्तं जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवरार समाप्त कर आज जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध वरुवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट


  
उपखण्ड अधिकारी,  
सोजत (पाली)

मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1497 दिनांक 09.10.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी ख.नं.751 में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक ख.नं. 751/1248 किस्म गै0मु0 बा0अ0 में से चाहा हैं। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई × चौड़ाई =  $40 \times 4 = 160$  वर्गमीटर अर्थात् 0.0160 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 216113/- रुपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार  $(216113/- \text{रू0} \times 2 \times 0.0160 \text{ है0} = 6916/-$  रुपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 751/1248 में से मौका फर्द में आसमानी स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत्त गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा आसमानी स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।



बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ा कलां के खसरा नंबर 751 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 751/1248 में से नया रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीन किये जाने की ईशतदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत रास्ते दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रिकॉर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जिससे निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 751/1248 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से

  
उपस्थित अधिवक्ता,  
सोजत (राज.)

उपरिष्ठत हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

— आदेश —

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुडा कंलां के खसरा नंबर 751 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 751/1248 में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि (216113/- रु0 × 2 × 0.0160 है0 = 6916/- रुपये प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किरम	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रुपये में (डी0एल0सी की दौगुना)
01.	751/1248 बा0अ0	0.63 है0	राजस्थान सरकार	40 मी0 × 4 मी0 = 0.0160 है0	6916/-रु

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात् प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)  
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)  
उपखण्ड अधिकारी, सोजत